न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

134

समक्षः एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 441/एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–01–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ – प्रकरण क 03/2012–2013 पुर्नविलोकन ।

महाराजा अग्रसेन धाम धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट , प्रतापपुरा ,
तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र0 द्वारा अध्यक्ष –
ओमप्रकाश अग्रवाल पिता मुकुट बिहारी अग्रवाल ,
उ0प्र0 62 वर्ष , निवासी 110/1 परिवारनपुरा झांसी
तहसील व जिला झांसी उत्तर प्रदेश।

.....आवेदक

विरूद्ध

1.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ

.....मूल अनावेदक

2.रानी आदिवासी पत्नि हीरालाल , निवासी ग्रम प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र. ।

.....तरतीवी पक्षकार

(आवेदक के अभिषक श्री सुनील सिंह जादौन)

(अनावेदक के शासकीय अधिवक्ता)

(अनावेदक कमाक 2 तरतीवीं पक्षकार)

आदेश

(आज दिनांक ९ /02/2017)

कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क 03/2012–13 पुनराविलोकन में पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सांराश यह है कि , कृषि भूमि प्रतापपुरा तहसील ओरछा में स्थिति भूमि ख.नं. 22/2 रकवा 3.309 हे. भूमि उवड–खावड एवं पथरीली होने एंव कृषि योग्य न होकर उक्त भूमि को विक्रय कर अन्य जगह दूसरी भूमि खरीदने हेतु विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 28/अ–21/2010–2011 पंजीवद्ध किया जाकर तहसीदार ओरछा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया , जांच के समय तहसीलदार इश्तहार जारी किया गया किसी के द्धारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई , तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिनांक 04.06.2011 से भूमि विकय करने की अनुमति दिया जाना उचित माना एवं भूमि विकय करने के उपरात 0.609 एकड भूमि शेष रहेगी जांच कर अनुसंशा की गई अनुविभागीय अधिकारी ने भी सहमति सहित प्रतिवेदन दिया हैं कलेक्टर टीकमगढ द्धारा जॉच उपरांत आदेश दिनांक 15.06.2011 से विकय की अनुमति प्रदान की गई विकय अनुमति प्राप्त होने के वाद अनावेदक क 2 ने वादग्रस्त भूमि को आवेदक के हित में दिनांक 11.8.2011 से पंजीयकृत विकय पत्र कर दिया गया

3/ भूमि विकय होने के उपरांत कलेक्टर टीकमगढ ने प्रकरण क 03/12--13 से विकय अनुमति आदेश दिनांक 15.06.2011 को पुनराविलोकन में लेने हेतु अनुमति बावत संहिता 1959 की धारा 51 में प्रकरण राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर को भेजा गया । माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्धारा आदेश दिनांक 15.12.2011 से अनुमति प्राप्त हुई तदुपरांत आदेश दिनांक 3.1.2013 वगैर हितवद्ध पक्षकार को सूचना व सुनवाई का मोका दिये एक पक्षिय रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 3.1.2013 पारित किया जाकर पूर्व अधिकारी के प्रकरण क 28/अ–21/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.6.2011 को निरस्त करते हुये विकय पत्र को शून्य घोषित किया एंव वादग्रस्त भूमि पूर्वत् अनावेदक क 2 के नाम अकित करने के आदेश दिये इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है ।

4 / निगरानी मेमो में अकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक क 1 शासकीय अधिवक्ता उपस्थित, अनावेदक क 2 तरतीवी पक्षकार होने से सूचना आवश्यक नही उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

5/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को पर मनन करने एंव अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि , यह सही है कि , वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी जाति का सौर होकर अनुसूचित जनजाति संवर्ग से है,किन्तु यह सही है कि, उन्होने कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया कलेक्टर द्वारा विकय अनुमति आवेदन की अधीनस्थ अधिकारीयो से जांच कराई है । तहसीलदार से तथ्यों की जांच कर प्रकरण में प्रतिवेदन दिया है जिसमें अकित किया है कि भूमि के विकय के अलावा 0.609 एकड भूमि शेष वचती है । तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि विकय करने की अनुसंशा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन भी आवेदक के पक्ष में हैं । विकय किये जाने की अनुमति देने की अनुसंशा की जाती है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन एंव अनुविभागीय अधिकारी की अनुसंशा से सहमत होकर कलेक्टर जिला टीकमगढ ने आदेश दिनांक 15.06.2011 पारित किया गया है एवं अनावेदक क 2 को वादग्रस्त भूमि की विकय की अनुमति प्रदान की है । विचार योग्य विन्दु यह है कि , जव एक बार अनावेदक क 2 को वादग्रस्त भूमि विकय की अनुमति प्रदान कर दी गई और विकय अनुमति प्राप्ती उंपरात भूमि विकय हो चुकी है । उसके उपरांत दिनांक 3.1.2013 को ऐसी कौन सी परिस्थितियॉ निर्मित हुई , जिसके कारण आदेश दिनांक 15.6.2011 का पुनराविलोकन किया जाना अनिवार्य हुआ कलेक्टर टीकमगढ ने आदेश दिनांक 3.1.2013 ने पुनरावलोकन का आधार यह लिया है कि –

1–क्या आदिवासियों को उपलव्ध कराये गये या आदिवासियों के नाम से जो भूमि थी उसको कम दाम पर किसी अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा उसका कया किया गया है ।

2–क्या तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश में जो उल्लेखित किया गया था उसी उददेश्य हेतु पूर्ती हुई है।

प्रश्नाधीन भूमि की जो दर है वह कृषि योग्य न होने की स्थिति में परिवर्तित भूमि मानी जानी चाहिये थी और परिवर्तित दर पर प्रश्नाधीन भूमि का विकय होना चाहिए था।

कलेक्टर टीकमगढ के विकय अनुमति आदेश दिनांक 27.8.2008 का अंतिम पद इस प्रकार हैकि–

"प्रकरण का अनुशीलन किया गया । आवेदिका ने आवेदन के समय तहसीलदार के समक्ष कथन अंकित कराये है व यह स्वीकार किया है कि वह आवेदित भूमि को बेचकर अन्य जगह कृषि भूमि कय करेगी । आवेदिका के पास विकय की जाने वाली भूमि के अलावा 0.609 हे. भूमि शेष रहती है , जो कम है। अतः तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका को ग्राम प्रतापपुरा की भूमि खसरा कमाक 22/2 रकवा 3.409 हे. मे से आवेदिका को 2.409 हे. भूमि प्रचलित गाइड लाइन के आधार पर विकय करने की अनुमति इस दशा में प्रदान की जाती है कि भूमि विकय से प्राप्त राशि से आवेदिका को दूसरी जगह कृषि योग्य भूमि विकय करना होगी"

स्पस्ट है कि , कलेक्टर द्वारा विकय मूल्य विकय दिनांक को प्रचलित गाईड लाइन के मान से आदान –प्रदान करने का आदेश दिया है और उपपंजीयक द्वारा विकय पत्र दिनांक 11.8.2011 को प्रचलित गाईड लाइन के मान से सम्पादित किया है । तव पुनराविलोकन हेतु लिया गया उक्त आधार परस्पर विरोधाभाषी हो कर दुर्भावनावश अथवा किन्ही अन्य मजवूरी/दवाव के कारण किया जाना परिलक्षित है।

6/ कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2011 के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि अनावेदिका क 2 ने पंजीयकृत विकय पत्र से आवेदक को विकय कर दी है । जवकि , कलेक्टर टीकमगढ ने आदेश दिनांक 3.1.2013 से आदेश दिनांक 15.6.2011 को पुनराविलोकन मे लिये जाने का निर्णय लिया है, तव क्या अंतरिम आदेश दिनांक 3.1.2013 में पारित आदेश दिनांक 15.6.2011 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा–

"भू–राजस्व संहिता 1959 म.प्र. धारा 165 ऐसा प्रावधान नही है कि , विकय अनुमति प्रदान करने पर भूमि विकय तत्पश्चात आदेश पारित कर पूर्वानुमति करते हुये विकय पत्र भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित किया जा सके ।"

कलेक्टर टीकमगढ ने उक्तानुसार तथ्यों पर गौर ना करने की त्रुटि की है

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क 03/पुर्नविलोकन /2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2013त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फततः कनेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क 28/अ–21/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 15.6.2011 में विकय अनुमति प्रदान की है उसे यथावत मान्य किया जाता है एंव उक्त आदेश के पालन मे किये गये विकय पत्र दिनांक 11.8.2011 के आधार पर केता/आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि खसरा क 22/2 रकवा 2.409 हे. पंजीयकृत विलेख 11.8.2011 के निष्पादनार्थ राजस्व अभिलेख /कम्प्युट्रीकृत अभिलेख में निगरानीकर्ता का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करते हुये राजस्व अभिलेखों को आदतन करें । तहसील न्यायालय ध्दारा पारित नामांतरण आदेश यथावत रखा जाता है , तथा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में पूर्व की भॉति अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल म.प्र.
ग्वालियर